रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 22]
No. 77] DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938 [N.C.T.D. No. 22]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

फा.स. एफ.10(13)/पर्या0/2015/2878–2900.—पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशो का अनुपालन करते हुए, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6167–6189 दिनाँक 20.10 2015, अधिसूचना संख्या एफ10(13)/पर्या/2015/6345–6372 दिनाँक 30.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ 10(13) /पर्या/ 2015/7400–7422 दिनाँक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/98–130 दिनाँक 05.01.2016 एवं एफ 10(13)/पर्या/2015/436–458 दिनाँक 21.01.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/1049–1072 दिनाँक 15.02.2016 और अधिसूचना संख्या एफ 10 (13) /पर्या /2015/1610–1632 दिनाँक 04.03.2016 के अनुक्रम में तथा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की दिनाँक 10.03.2016 को बैठक के कार्यवृत्त, के निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय अधिसूचित किए जाते है:–

1. घटना के तुरन्त बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष संख्या–100 पर टोल एकत्रकर्ता उल्लंघन करने वाले वाहन के गाडी संख्या को बताएगा, जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लगाने वाले अधिसूचना का अनुपालन नहीं करता है।
2. संबंधित थाने में टोल एकत्रकर्ता एक प्राथमिकि दर्ज कराएगा और पुलिस जल्द से जल्द उस पर उचित कार्यवाही करेगी।
3. यदि कोई वाहन ई.सी.सी. के बिना भुगतान/गैर गंतव्य दिल्ली के/2006 से पूर्व के पंजीकृत पाया जाता है तो, उस समय, लागू पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। तीन बार से अधिक अनाधिकृत प्रवेश करने की अवस्था मे वाहन को न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

शहरी विकास विभाग

आदेश

दिल्ली 26 अप्रैल, 2016

फा.सं. 13(73)/वि–डिफसि/एमबी/श0वि0/2016/643.–दिल्ली वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 तथा मंत्री परिषद् की सिफारिशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यहां "आयोग" के रूप में संदर्भित) के लिए निम्न पांचवा वित्त आयोग गठित करते हैं, जो 1 अप्रैल 2016 से शुरु करेगा और पॉच वित्त वर्षो 2016–21 की अवधि का अवलोकन करेगा और निम्न अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव इस आयोग में होंगे:–

(1) श्री सुधीर कृष्णा — अध्यक्ष

(2) श्री के. आर. किशोर — सदस्य सचिव

2. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिसूचना जारी करने की तिथि से 18 महीने तक कार्यभार संभालेंगे और 02 अतिरिक्त सदस्यों के नाम अलग से अधिसूचित किये जायेंगे।

3. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे।

4. आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा–

(क) **नियम जो भासित करें**

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर, ड्यूटी तथा फीस की सकल आय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा निगमों के बीच वितरण, जोकि दोनों के बीच वितरित किया जाना है।

(ii) कर, ड्यूटी, टोल तथा फीस का निर्धारण जोकि निगमों दिया जाना है।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से निगमों को सहायता अनुदान; तथा

(ख) **निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु उपाय।**

5. आयोग द्वारा सिफारिशें करने के दौरान, आयोग दूसरी सिफारिशो के साथ अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगा:–

i राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समग्र स्रोत स्थिति;

ii निगम प्रशासन में अर्थव्यवस्था के लिये स्कोप;

iii निगमों द्वारा स्रोत मोबीलाइजेशन में सुधार के लिये अवसर;

iv निगमों द्वारा कर हेतु किए गए प्रयास;

v सृजित और इसके तहत सृजित होने वाले सहित पूंजीगत संपत्ति का पर्याप्त अनुरक्षण एवं रखरखाव;

vi मार्च, 2016 के अंत तक प्लान स्कीम (उपलब्ध व्यय एवं मानदंड, जिसके आधार पर पूंजीगत संपत्ति के विभिन्न संवर्गों के अनुरक्षण के लिय उपलब्ध ऐसा व्यय तथा ऐसे रखरखाव व्यय को मॉनीटर करने का तरीका दर्शाया जाएगा।)

vii प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए (उदाहरण के लिए ई–गवर्नेस) निगम निकायों की आवश्यकताएं तथा सर्विस के स्टैण्डर्ड को अपग्रेड करना (ऐसे व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाए और इसकी मॉनीटरिंग कैसे की जाए, दर्शाया जाए)।

6. स्रोतो की उपलब्धता तथा विशेष रूप से ऐच्छिक कार्यो के संबंध में क्षमता की सीमा को ध्यान में रखते हुए निगमों को सौंपे गए कार्य की आयोग द्वारा समीक्षा।

7. आयोग 31 मार्च, 2015 को निगमों की ऋण स्थिति का आकलन भी करेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे जाने वाले सुधारात्मक कदमों का सुझाव देगा।

2040 D9/16-5

8. आयोग विशेष मामले के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समेकित निधि में से दिल्ली छावनी बोर्ड को वित्तीय हस्तांतरण पर सिफारिश भी कर सकता है।

9. आयोग निम्न पहलूओं पर भी अवश्य ध्यान देगा जोकि स्थानीय निकायों को दीर्घकालीन मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं :–

(i) संपत्ति सृजन एवं संपत्ति प्रबंधन के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल सृजित संगठनात्मक सर्विस का उचित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बल्कि यह लम्बे समय तक कायम रहे;

(ii) सिविक सुख सुविधाओं के स्केलिंग की डिलीवरी;

(iii) निगम निकायों के आधारभूत क्रियाकलाप में ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रारंभ;

(iv) बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम;

(v) लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण/लेखा परीक्षा को अद्यतन करना; तथा

(vi) सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई–खरीदारी तथा इसका विकास।

10. आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाह्य राजस्व की स्थिति का समग्र रूप से विश्लेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुमान और अतिरिक्त स्रोत जुटाने के आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा।

11. स्थानीय निकायों का व्यय एवं राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आधारित होगा। व्यय आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच भिन्नता पर भी विचार किया जाए।

12. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना।

13. स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग द्वारा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय दोनों को लेकर व्यय के आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है।

14. आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमुख अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में कमी हो सकती है।

15. आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मितव्ययता के साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा।

16. आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संभव हो प्रत्येक ऐसे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं सांवतरण का आकलन/अनुमोदन भी दर्शाएगा।

17. आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन के गठन की अधिसूचना की तिथि के 18 महीने के अंदर तक उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेश द्वारा
संजीव मनकोटिया, उप–सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 26th April, 2016

F.NO.13/73/V-DFC/MB/UD/2016/643.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Finance Commission Act, 1994 (Delhi Act 10 of 1994) and on the recommendation of the council of Ministers, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, constitutes the Fifth Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi to cover the five financial years period 2016-2021 commencing from 1st April, 2016 (herein referred to as "the Commission"). The commission shall comprise of the following as Chairman and Member Secretary:-

1. Shri Sudhir Krishna — Chairman
2. Shri K.R. Kishore — Member Secretary

The name of the other two members shall be notified separately by the Government.

2. The Chairman and Members of the Commission shall hold office for the period of 18 months commencing from the date of issue of notification constituting the Commission.

3. The Chairman and Member Secretary shall render full time service.

4. The Commission shall review the financial position of the Municipalities and make recommendations as to –

(a) the principles which should govern

(i) the distribution between the Government of National Capital Territory of Delhi and the Municipalities of the net proceeds of the taxes. duties. tolls and fees leviable by the government of National Capital Territory of Delhi which may be divided between them,

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to the Municipalities.

(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, and

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities.

5. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to -

i. the overall resource position of the Government of National Capital Territory of Delhi;
ii. the scope for economy in the municipal administration;
iii. the scope for improvement in resource mobilization by the Municipalities;
iv. tax effort made by the Municipalities;
v. adequate maintenance and upkeep of capital assets including those created or likely to be created under:
vi. the Plan schemes till the end of March, 2016 (the expenditure provided therefor and the norms, if any, on the basis of which such expenditure is provided for maintenance of different categories of capital assets and the manner in which such maintenance expenditure could be monitored may be indicated),
vii. the requirements of the Municipal bodies for modernization of administration (for example e-governance) and upgrading the standards of services (the details for such expenditure provided for and manner in which this could be monitored may be indicated).

6. The Commission may Review the functions assigned to Municipalities keeping in view the availability of resources, and the limitation of capacity especially with regard to the discretionary functions.

7. The Commission may make an assessment of the debt position of Municipalities as on 31st March, 2016 and suggest such corrective measures as deemed necessary, keeping in view the financial requirements of the Government of National Capital Territory of Delhi.

8. The Commission may make recommendations on the financial devolution to the Delhi Cantonment Board out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, as a special case.

9. The Commission must also focus on the following aspects which are essential for the long term strengthening of the local bodies:-

i. securing effective linkages between asset creation and asset management, so that infrastructural services created are not only maintained effectively but also become self-sustaining over time;
ii. scaling of delivery of civic amenities;
iii. Introduction of e-governance applications in core functions of municipal bodies;
iv. Capacity building programmes for better financial management;
v. Accounting reforms, adoption of double entry system and up-to-date accounting / audit system; and
vi. [illegible] and development of a well organized administrative system.

10. The Commission may in the first instance thoroughly analyze the Internal and External Revenue position of the local bodies for the last 10 to 15 years and then make realistic projections on the basis of some assumptions and Additional Resources Mobilization based on revision of rates of tax and non-tax revenue.

11. The expenditures and revenues of local bodies to be assessed based on actual and normative expenditure needs. While assessing expenditure needs the differences among the local bodies in fiscal capacity and expenditure need may also be considered.

12. The GNCTD will also furnish their projections of Tax revenue and proposed capital investment under Plan on outgoing works and new works after meeting the expenses of GNCTD under Non-Plan.

13. A comprehensive approach to the assessment of expenditure needs by taking both Plan and non-Plan expenditure of GNCTD may be adopted by the Commission before recommending the outgo of Tax revenue in the form of BTA to local bodies.

14. The Commission may also study the present activities of local bodies and see whether some of their functions i.e. Major Hospitals etc. can be transferred to GNCTD which may reduce their expenditure.

15. The Commission may also look into the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in major components of recurring and nonrecurring items of expenditure of local bodies.

16. The Commission shall also indicate in its report the basis on which it has arrived its findings and indicate, as far as possible, the estimates/forecasts of receipts and disbursements for all the Municipalities together as well as separately for each of such bodies.

17. The Commission shall submit its report within 18 months from the date of issue of notification constituting the Commission on each of the matters aforesaid and covering a period of five financial years starting from April 1, 2016.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
SANJEEV MANKOTIA, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सं.फा. 16(507)/श0वि0/डब्ल्यू /2015/596.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 12.2.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 08.05.2015 के पत्र सं0 3/24(3)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 26.11.1981 की अधिसूचना संख्या फा0 09/30/81—एलएसजी/7797 द्वारा अधिसूचित कैमिस्ट भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **कैमिस्ट** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाषित किए जाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **कैमिस्ट** के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :–** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कैमिस्ट
2.	पदों की संख्या	:	20 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	:	वेतन समूह–2 में 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4800/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नतिः– दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 4800/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34800/–रुपये, पे बैंड–2 में सहायक कैमिस्ट। टीपः– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीपः– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य (ए) –अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से
तथा उनके नाम पर
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2016

No.16(507)/UD/W/2015/596.— The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 12.02.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(3)/2015-RR dated 08.05.2015 and in supersession of the Chemist recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F. 9/30/81-LSG/7797 dated 26.11.1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Regulations for recruitment to the post of **Chemist** in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement** - These Regulations may be called the Chemist in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.
2. **Number of posts, Classification and scale of pay** - The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications** - No person, –

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chemist	20 (2015) Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/-	Selection	Not Applicable

Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Commission exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.
Promotion:- Assistant Chemist in PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- with 2 years' regular service in the grade and have undergone one weeks training from Delhi jal Board Training Institute. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	Category 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1.Member(A) - Chairman 2.Director (A&P) -Member 3.Director Treatment & Quality Control -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of Government of
National Capital Territory of Delhi
R.C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054